सौर कृषि आजीविका योजना

(SKAY)

दिशा-निर्देश पुस्तिका

उद्देश्य

राजस्थान डिस्कॉम के चिन्हित 33/11KV सबस्टेशनों के पास पीएम–कुसुम कंपोनेंट सी (फीडर लेवल सोलराइजेशन) के तहत विकसित किए जा रहे विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए राज्य के किसानों / भूमि मालिकों को अपने बंजर / अनुपयोगी भूमि को पूर्व निर्धारित राशि के आधार पर लीज़ पर देने का अवसर प्रदान करना एवं विकासकर्ता (Developer) को सौर ऊर्जा सयंत्र स्थापित करने हेतु भूमि उपलब्ध करवाना।

पीएम–कुसुम कंपोनेंट सी (फीडर लेवल सोलराइजेशन) के तहत

ऊर्जा विभाग

राजस्थान सरकार

विषय

1 परिचय........ 2

2 उद्देश्य........ 3

3 योजना लाभ 3

3.1 किसान / भूमि मालिक........ 3

3.2 डेवलपर्स / विकासकर्ता 4

3.3 राजस्थान डिस्कॉम........ 4

3.4 राजस्थान सरकार........ 4

4 कार्यान्वयन संरचना........ 4

5 पात्रता शर्तें........ 4

6 ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क........ 5

7 लागू लीज शुल्क........ 5

8 आवेदन प्रक्रिया........ 6

8.1 किसानों/भूस्वामियों को निर्देश........ 6

8.2 विकासकर्ता को निर्देश........ 7

8.3 ऑनलाइन आवेदन के साथ किसानों/भूमि मालिकों द्वारा अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज........ 8

9 राजस्थान डिस्कॉम की भूमिकाएँ 8

10 दिशानिर्देशों की व्याख्या........ 9

11 शिकायत निवारण........9

1. परिचय

राजस्थान को एक हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए राज्य की विशाल सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 142 गीगावाट तक ले जाने की मंशा रखती है और ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी 26) में भारत की प्रतिबद्धता में योगदान करने के लिए ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों (अर्थात कोयला, तेल, गैस, आदि) पर निर्भरता कम करके 'शुद्ध शून्य' उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने की मंशा रखती है। और इसके अतिरिक्त अपने सभी उपभोक्ताओं को एक स्थायी, विश्वसनीय और सस्ती बिजली प्रदान करना भी राजस्थान सरकार का लक्ष्य है।

ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से कृषि भार वाले लोड सेंटर पर पीएम-कुसुम कंपोनेंट सी (फीडर लेवल सोलराइजेशन) के तहत विकसित किए जा रहे विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य हेतु लिए, राज्य सरकार ने "सौर कृषि आजीविका योजना" या "SKAY" तैयार की है।

SKAY का उद्देश्य किसानों / भूमि मालिकों को सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए पूर्व-निर्धारित राशि के आधार पर अपनी बंजर / अनुपयोगी भूमि को लीज़ पर देने का अवसर देकर राज्य के प्रचुर भूमि संसाधनों का उपयोग करना है। राजस्थान डिस्कॉम्स ने एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है, जहां सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए किसान/भूमि मालिक अपनी जमीन को लीज़ पर देने के लिए पंजीकृत कर सकते हैं। सौर ऊर्जा संयंत्र के विकासकर्ता (Developer) भी पंजीकृत किसानों / भूमि मालिकों तक पहुंचने के लिए पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं।

यह पोर्टल (www.skayrajasthan.org.in) किसान एवं विकासकर्ता (Developer) की सुविधा के लिए बनाया गया है जहां इच्छुक किसान / भूमि मालिक अपनी बंजर / अनुपयोगी भूमि को लीज़ पर देने के लिए पंजीकृत कर सकते हैं। और विकासकर्ता उक्त किसानों द्वारा पोर्टल पर डाला गया भूमि विवरण देख सकते है एवं राजस्थान डिस्कॉम्स के 33/11 केवी सबस्टेशन की आसपास के क्षेत्र में (लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में) RESCO प्रणाली पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकते हैं।

पीएम-कुसुम कंपोनेंट सी (फीडर लेवल सोलराइजेशन) के तहत सौर कृषि आजीविका योजना की मुख्य विशेषताएं:

- पोर्टल पर डिस्कॉम के चिन्हित 33/11kV सबस्टेशनों की सूची एवं जिनके आसपास प्लांट क्षमता के अनुसार सोलर पावर प्लांट लगाए जाने हेतु जितनी भूमि की आवश्यकता है, इसका विवरण उपलब्ध हैं।
- इच्छुक किसान / भूमि मालिक जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, वे विकासकर्ता (Developer) द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए अपनी जमीन को लीज़ पर देने के संबंध में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन प्रक्रिया शरू करने के लिए आवेदकों को नॉन रिफंडेबल पंजीकरण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना आवश्यक है ।

- विधिवत भरे हुए आवेदनों का सत्यापन संबधित डिस्कॉम द्वारा किया जाएगा।
- भूमि का सर्वेक्षण (निर्धारित प्रारूप में) डिस्कॉम अधिकारी और आवेदक / अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।
- डिस्कॉम के उसी फील्ड ऑफिस द्वारा भूमि स्थान से सबस्टेशन को जोड़ने हेतु एक लाइन डायग्राम भी तैयार किया जाएगा।
- डिस्कॉम सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए RESCO विकासकर्ता के चयन के लिए निविदाएं जारी करेगा।
- विकासकर्ता (Developer) भूमि को 26 साल के लिए लीज़ पर देने हेतु पंजीकृत किसानों / भूमि मालिकों के साथ सहयोग कर सकते हैं या सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक भूमि की व्यवस्था स्वयं कर सकते हैं।
- चयनित विकासकर्ता नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) से पीएम-कुसुम योजना के तहत घटक सी (फीडर लेवल सोलराइजेशन) के तहत CFA के के लिए पात्र होंगे।
- डिस्कॉम चयनित विकासकर्ता से निर्धारित टैरिफ पर 25 वर्षों के लिए बिजली खरीदेगा।

2. उद्देश्य

"पीएम-कुसुम कंपोनेंट सी (फीडर लेवल सोलराइजेशन) के तहत विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए राजस्थान डिस्कॉम्स के चिन्हित 33/11kV सबस्टेशन के पास भूमि बैंक बनाने के लिए राज्य के किसानों / भूमि मालिकों को निर्धारित राशि के आधार पर अपनी जमीन को लीज़ पर देने का अवसर प्रदान करना।"

पीएम-कुसुम योजना का घटक सी (फीडर लेवल सोलराइजेशन) CFA के माध्यम से फीडर स्तर पर सोलर पावर प्लांट की स्थापना के प्रावधान के साथ कृषि फीडर की वार्षिक ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए विकेन्द्रीकृत (Decentralized) सौर उत्पादन के समान है। सौर पावर प्लांट परियोजनाओं की सफल स्थापना के लिए प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण कार्य भूमि की पहचान, इसकी खरीद और लागत है। इसलिए, इसे सरल बनाने के लिए, राजस्थान डिस्कॉम्स ने किसानों / भूमि मालिकों और विकासकर्ता (Developer) के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु RESCO मोड पर भूमि की व्यवस्था करने के लिए एक समर्पित पोर्टल की सुविधा के लिए "सौर कृषि आजीविका योजना (SKAY)" शुरू की है।

3. योजना लाभ

3.1 किसान / भूमि स्वामी

- किसानों को दिन के समय बिजली की उपलब्धता।
- किसानों द्वारा बंजर / अनुपयोगी भूमि के लिए लीज शुल्क के रूप में अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर।

3.2 विकासकर्ता

- राज्य भर में किसानों / भूमि मालिकों के संपर्क विवरण के साथ उपलब्ध भूमि तक पहुंच।

- निर्धारित टैरिफ पर 25 वर्षों के लिए डिस्कॉम द्वारा सौर ऊर्जा की खरीद की गारंटी।
- पीएम–कुसुम योजना का घटक सी (फीडर लेवल सोलराइजेशन) के CFA लाभों का फायदा।

3.3 राजस्थान डिस्कॉम्स

- सस्ती सौर ऊर्जा की उपलब्धता से बिजली खरीद लागत और वितरण एवं व्यवसायिक हानियों में कमी।
- पीएम–कुसुम योजना के घटक ए से विपरीत, सौर पावर प्लांट बिजली संयंत्र की क्षमता या इसकी स्थापना स्थान पर कोई बाध्यता नहीं है।
- बिजली उत्पादन और उसकी खपत दोनों उपभोक्ता के नजदीक होने के कारण विद्युत् वितरण ढांचे एवं वितरण हानि में कमी।
- बेहतर RPO अनुपालन से प्रति यूनिट लगभग 1 रुपये की बचत होती है (अनुपालन में कमी के कारण वर्तमान में यह डिस्कॉम द्वारा वहन किया जाता है)

3.4 राजस्थान सरकार

- कृषि उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल पर टैरिफ अनुदान में कमी,
- सौर नीति 2019 के तहत 2024-25 तक वितरित उत्पादन लक्ष्य को 4,000 मेगावाट करने में योगदान।

4. कार्यान्वयन संरचना

- यह योजना राजस्थान के सभी तीनो डिस्कॉम्स द्वारा अपने–अपने परिचालन क्षेत्रों में लागू की जाएगी अर्थात जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JVVNL), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (AVVNL) और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JdVVNL)।
- उक्त कार्य के लिए JVVNL नोडल एजेंसी होगी।

5. पात्रता शर्तें

पोर्टल पर पंजीकरण के लिए भूमि मालिकों के लिए पात्रता शर्त:

- कोई भी भूमि मालिक (जैसे व्यक्ति / किसानों के समूह, पंजीकृत सहकारी समितियों, संगठनों / संघों / संस्थानों आदि एवं इसके अतिरिक्त भी यदि कोई हो तो)।
- इच्छुक किसान / भूस्वामी (एकल / समूह) कम से कम 1 हेक्टेयर एकल भूमि पंजीकृत करा सकते हैं।
- किसानों /भूस्वामियों के समूह मामले में, समूह द्वारा किसी एक नामांकित व्यक्ति के पक्ष में उचित मुख्तारनामा (Power of Attorney) किया जाएगा।

पोर्टल पर पंजीकरण के लिए डेवलपर्स के लिए पात्रता शर्त:

- कोई भी सौर ऊर्जा विकासकर्ता

6. ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क

सभी आवेदकों को निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार नॉन रिफंडेबल पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा:

आवेदक	पंजीकरण शुल्क प्रकार	पंजीकरण शुल्क (18% जीएसटी सहित)
किसान / भूमि मालिक	प्रति आवेदन	रु 1,180
परियोजना विकासकर्ता	एकमुश्त	रु. 5,900

7. लागू लीज रेंट

योजना के तहत किसान / भूमि मालिक को निम्न सूची के अनुसार वार्षिक लीज शुल्क प्राप्त होगा। यह हर दो साल में 5% की दर से बढ़ाया जायेगा जोकि शुरू में 26 साल की अवधि (25 साल PPA अवधि सहित) के लिए लागू होगा:

पंजीकरण के समय भूमि की डीएलसी दर (रुपये प्रति हेक्टेयर)	वार्षिक लीज रेंट (रुपये प्रति हेक्टेयर)
8 लाख तक	80,000
8 लाख से अधिक और 12 लाख से कम	1,00,000
12 लाख से अधिक और 20 लाख से कम	1,40,000
20 लाख से अधिक	1,60,000

- विकासकर्ता (Developer) को किसान/भूमि मालिक या अधिकृत व्यक्ति को सोलर पावर प्लांट की स्थापना और चालु करने के दौरान, अनुबंध करने के 9 महीने के भीतर लीज़ किराया राशि भुगतान का करना होगा।
- डिस्कॉम भूमि की लीज़ के किराए का भुगतान सीधे पंजीकृत किसान / भूमि मालिक या अधिकृत व्यक्ति को करेगा और डिस्कॉम इसकी वसूली सोलर पावर प्लांट के चालू होने के बाद, विकासकर्ता को देय मासिक ऊर्जा शुल्क के भुगतान से करेगा।
- योजना के तहत लीज़ किराया किसान / भूमि मालिक या अधिकृत व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के बाद ही देय होगा:
  I. विकासकर्ता को डिस्कॉम द्वारा संदर्भित भूमि पर सोलर पावर प्लांट परियोजना स्थापित करने का कार्य आदेश दे दिया जाता है,
  II. चयनित विकासकर्ता ने पोर्टल पर पंजीकृत भूमि के लिए किसान/भू-स्वामी के साथ भूमि लीज़ समझौता कर लिया है और उसे संबधित डिस्कॉम के कार्यालय में प्रस्तुत किया है।
- योजना के लिए पोर्टल पर केवल भूमि का पंजीकरण करवाना ही भूमि स्वामी को लीज़ किराया प्राप्त करने का अधिकार नहीं देगा।

- डिस्कॉम लीज समझौते में किसी भी रूप में पक्ष (Party) नहीं बनेगा और वह केवल लीज राशि भुगतान के लिए विकासकर्ता उपलब्ध करवाने हेतु एक सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करेगा।
- यह किसान/भू-स्वामी की जिम्मेदारी होगी कि वे स्पष्ट स्वामित्व वाली भूमि अर्थात मुकदमेबाजी और किसी भी प्रकार के भार /क़र्ज़ से मुक्त भूमि प्रदान करें। इसके बाद किसी भी चरण में गलत सूचना या कानूनी मुद्दों के लिए, किसान / भूमि मालिक जिम्मेदार होगा और डिस्कॉम / विकासकर्ता द्वारा कोई मुआवजा / हर्जाना नहीं दिया जाएगा।
- भूमि लीज समझौते से पहले विकासकर्ता (Developer), किसान/भूमि मालिक द्वारा भूमि के सम्बद्ध में प्रस्तुत जानकारी के सत्यापन करने और किसी भी मुकदमेबाजी / विवादों / किसी अन्य मुद्दे की जांच के लिए जिम्मेदार होगा।
- किसी भी विवाद की स्थिति में, डिस्कॉम पक्ष (Party) बनेगा और, किसान/भूमि मालिक और विकासकर्ता के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान या विवाद के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

8. आवेदन प्रक्रिया

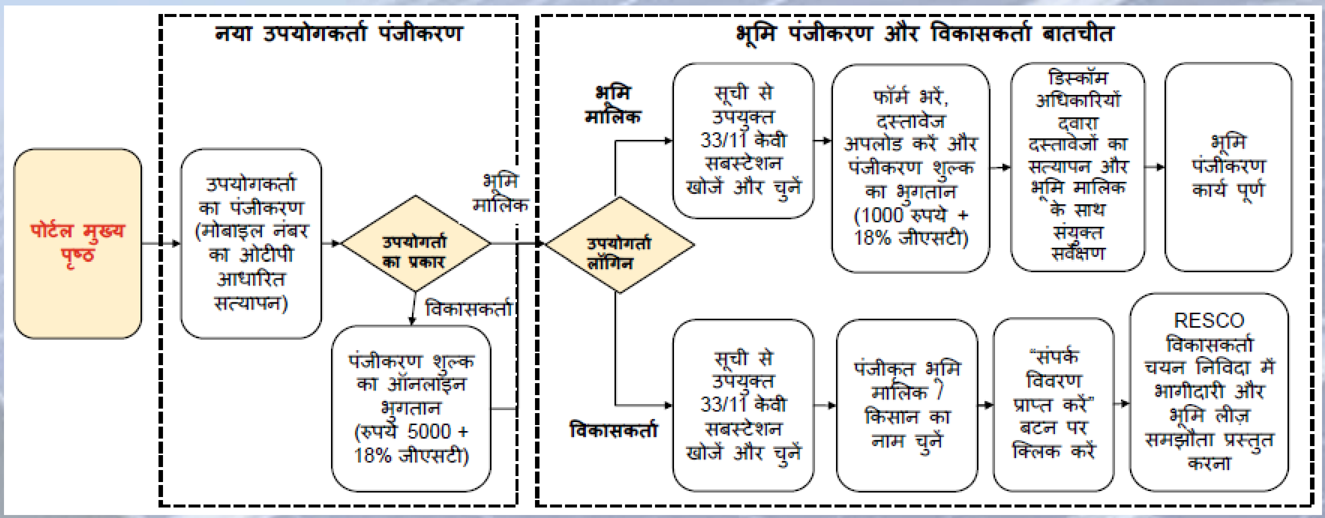

8.1 किसानों/भूस्वामियों को निर्देश

- इच्छुक किसान / भूमि मालिक जो उपरोक्त पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, वे पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर सकते है और उपलब्धता के आधार पर जिला / सर्कल / डिवीजन / सब डिवीजन और सबस्टेशन खोज सकते हैं।
- सबस्टेशन के चयन के बाद किसान / भूस्वामी ऑनलाइन फॉर्म भरकर और जमाबंदी सहित सभी जरूरी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड कर पंजीकरण करा सकते हैं।
- प्रस्तावित भूमि स्पष्ट स्वामित्व की होगी, मुकदमेबाजी और किसी भी प्रकार के भार / क़र्ज़ से मुक्त होगी।

- किसी भी बाद के चरण में किसी भी गलत जानकारी या कानूनी मुद्दों के लिए, भूमि मालिक जिम्मेदार होगा और डिस्कॉम / विकासकर्ता द्वारा कोई मुआवजा या क्षति का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- यदि भूमि पार्सल/क्षेत्र एक से अधिक व्यक्तियों के नाम पर होने या किसानों/भू-स्वामियों के समूह को पंजीकृत करने वाले, ऐसे समूह को पोर्टल पर आवेदन जमा करने के लिए ऐसे किसान/भू-स्वामी में से किसी एक को नामांकित करना होगा और पोर्टल पर उस व्यक्ति के के पक्ष में मुख्यतारनामा (Power of Attorney) अपलोड करना होगा।
- आवेदन जमा करने के बाद, भूमि मालिकों / किसानों को पोर्टल पर ही पंजीकरण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा।
- पंजीकरण शुल्क के सफल भुगतान के बाद, एक विशिष्ट पंजीकरण आईडी को आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा।
- एक भूमि पार्सल / क्षेत्र केवल एक सबस्टेशन / संयंत्र स्थान के लिए पंजीकृत किया जा सकता है।
- एक किसान / भूमि मालिक एक से अधिक भूमि पार्सल / क्षेत्र पंजीकृत कर सकता है, बशर्ते कि प्रत्येक भूमि पार्सल / क्षेत्र के लिए लागू पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया जाए और उपरोक्त बिंदु पर उल्लिखित शर्तों को पूरा किया जाए।
- पंजीकृत आवेदनों को संयुक्त सर्वेक्षण के लिए संबंधित डिस्कॉम के क्षेत्रीय कार्यालय को अग्रेषित किया जाएगा।
- डिस्कॉम का अधिकारी पोर्टल पर सबस्टेशन से भूमि को जोड़ने हेतु लाइन डायग्राम के साथ संयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट को अपलोड करेगा। किसी भी विसंगति के मामले में, आवेदन में सुधार के लिए आवेदक को सूचित किया जायेगा ।
- किसी भी भूमि पार्सल/क्षेत्र को पोर्टल पर सफलतापूर्वक पंजीकृत तभी माना जाएगा जब डिस्कॉम के अधिकारी द्वारा आवेदन पर संयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट और ब्रॉड कनेक्टिविटी लाइन डायग्राम अपलोड किया जाएगा।

8.2 विकासकर्ता को निर्देश

- इच्छुक विकासकर्ता पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं और पोर्टल पर पंजीकरण शुल्क का भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं।
- पोर्टल पर सफलतापूर्वक पंजीकृत होने के बाद, विकासकर्ता निम्न दो सूचियां देख सकते हैं

(1) उन सबस्टेशनों की सूची जहां किसानों / भूमि मालिकों द्वारा भूमि पार्सल / क्षेत्रों को पंजीकृत किया गया है और डिस्कॉम द्वारा सत्यापित किया गया है।

- विकासकर्ता किसी भी सबस्टेशन का चयन कर सकते हैं और "संपर्क विवरण" पर क्लिक करके अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से उस स्थान के लिए पंजीकृत किसान / भूमि मालिक का संपर्क विवरण प्राप्त कर सकते हैं।

(2) उन सबस्टेशनों की सूची जहां कोई भूमि पार्सल/क्षेत्र पंजीकृत नहीं किया गया है

- विकासकर्ता अपनी क्षमता के आधार पर ऐसे स्थान (स्थानों) के आसपास भूमि पार्सल/क्षेत्र की पहचान कर सकते हैं।

- पोर्टल पर बड़ी संख्या में भूमि पार्सल/क्षेत्र पंजीकृत होने के बाद, डिस्कॉम लेवालाइज़्ड टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से ऐसे सबस्टेशनों के आसपास सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए RESCO डेवलपर्स के चयन हेतु निविदा जारी करेगा और भागीदारी के लिए उक्त NIT, पोर्टल पर पंजीकृत विकासकर्ता को भी सूचित किया जायेगा।
- डिस्कॉम द्वारा आमंत्रित बोलियों में भाग लेने वाले विकासकर्ता के लिए यह बाध्यता नहीं होगी कि वह पोर्टल पर उपलब्ध सूची से ही भूमि का चयन करे, वह अपने स्तर पर भी वैकल्पिक भूमि की पहचान करने के साथ-साथ खरीद करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- विकासकर्ता को सोलर पावर प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु, अनुबंध के 1 महीने के भीतर डिस्कॉम को भूमि लीज़ समझौता प्रस्तुत करना होगा और डिस्कॉम द्वारा जारी की निविदा में भाग लेते समय अपनी बोली के साथ इस संबंध में एक अंडरटेकिंग भी प्रस्तुत करनी होगा। ।
- डिस्कॉम भूमि लीज़ के किराए का भुगतान सीधे पंजीकृत किसान / भूमि मालिक या अधिकृत व्यक्ति को करेगा और इसे विकासकर्ता को देय मासिक ऊर्जा शुल्क से वसूल करेगा।
- सफल विकासकर्ता को पीएम-कुसुम योजना के तहत घटक सी (फीडर स्तर) के अनुसार MNRE से CFA पात्रता प्राप्त होगी ।
- भूमि लीज समझौते से पहले विकासकर्ता (Developer), किसान/भूमि मालिक द्वारा भूमि के सम्बद्ध में प्रस्तुत जानकारी के सत्यापन करने और किसी भी मुकदमेबाजी / विवादों / किसी अन्य मुद्दे की जांच के लिए जिम्मेदार होगा।

8.3 ऑनलाइन आवेदन के साथ किसानों/भूस्वामियों द्वारा अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज

(i) जमाबंदी (भूमि स्वामित्व प्रमाण)
(ii) आधार कार्ड (पहचान प्रमाण)
(iii) कैंसिल चेक / पासबुक कॉपी
(iv) अधिकृत पत्र
(v) आवेदक / अधिकृत व्यक्ति का फोटो
(vi) आवेदक / अधिकृत व्यक्ति के स्कैन किए गए हस्ताक्षर

नोट: प्रमाण के दस्तावेज पीडीएफ (PDF) प्रारूप में अधिकतम 500 KB के होने चाहिए। साथ ही, पोर्टल (www.skayrajasthan.org.in) पर किसानों/भूमि मालिकों और विकासकर्ताओं के लिए एक अलग उपयोगकर्ता पुस्तिका / चरण-दर-चरण प्रक्रिया प्रदान की जाएगी।

9. राजस्थान डिस्कॉम की भूमिकाएँ

- संबंधित वृत के अधीक्षण अभियंता (ओ एंड एम) द्वारा नामित अधिकारी द्वारा पंजीकृत भूमि का आवेदक की उपस्थिति में निम्नलिखित मापदंडों को सत्यापित करने के लिए संयुक्त सर्वेक्षण।
- आवेदक द्वारा प्रस्तुत भूमि विवरण (स्थान, आकार, प्रकार, स्वामित्व) और दस्तावेजी प्रमाणों का सत्यापन।

- भूमि के जीपीएस निर्देशांक (कोऑर्डिनेट्स) नोट करना ।
- सबस्टेशन से संबधित भूमि की मार्ग दूरी को सत्यापित करना ।
- आवेदक द्वारा एकल पॉकेट के रूप में पंजीकृत विभिन्न भूमि पार्सलों के बीच की दूरी।
- जमीन के फोटो खींचना।
- सबस्टेशन को उक्त भूमि से जोड़ने वाली लाइन के लिए अस्थायी सिंगल लाइन डायग्राम तैयार करना
- डिस्कॉम के संबधित सबस्टेशन पर जगह/ लाइन (Bay) की उपलब्धता की जांच करना
- कोई नदी /जमीन पर बड़े पेड़ आदि।
- प्लांट चालू होने के बाद ही किसान / भूमि मालिक / अधिकृत व्यक्ति को लीज शुल्क भुगतान।

- चालू सोलर पावर प्लांट से आपूर्ति की गई ऊर्जा के एवज में विकासकर्ताओं को भुगतान (भूमि मालिक को देय वार्षिक लीज रेंट राशि की कटौती के बाद) करना।

10. दिशानिर्देशों की व्याख्या

- इन दिशानिर्देशों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या में किसी भी अस्पष्टता के मामले में, संबंधित डिस्कॉम के नोडल अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
- संबंधित राजस्थान डिस्कॉम्स द्वारा समय-समय पर दिशानिर्देशों की समीक्षा की जाएगी और आवश्यक सुधार (यदि कोई हो), संबंधित नोडल अधिकारी से अंतिम अनुमोदन प्राप्त करने के बाद संशोधनों / नए दिशा-निर्देशों को शामिल किया जाएगा।

11. शिकायत निवारण

योजना के संबंध में किसी भी शिकायत / शिकायत / प्रश्न / सुझाव के मामले में, आवेदक सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक (कार्य दिवस) तक पहुंच सकते हैं:

डिस्कॉम	नोडल अधिकारी	पता	ईमेल आईडी	फ़ोन नंबर
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JVVNL)	मुख्य अभियंता (पी.पी.एम)	पुराना पावर हाउस परिसर, बनीपार्क, जयपुर – 302016	ceppm@jvvnl.org, xendsm@jvvnl.org	+91 141 2209533
अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (AVVNL)	मुख्य अभियंता (प्रोजेक्ट)	विद्युत भवन पंचशील नगर, अजमेर-305004	ceprojectavvnl2022@gmail.com	0145 2641208
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JdVVNL)	मुख्य अभियंता (Headquarter)	नया पावर हाउस जोधपुर- 342003	xenredsmjdvvnl@gmail.com, secommliju@gmail.com	+91 0291 2742227